मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 497/2021

1. दारासिह पुत्र छोटूसिह जाति कुम्हार निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. हरपाल सिह पुत्र छोटूसिह जाति कुम्हार निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— वादी

बनाम

1. नसीबकौर पुत्री वीरसिह पत्नी मेजरसिह जाति कुम्हार निवासी साबुआना हाल चन्नु मुक्तसर साहिब पंजाब।
2. शान्ति देवी पुत्री वीरसिह पत्नी भगतसिह जाति कुम्हार निवासी साबुआना हाल डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा।
3. परमजीत कौर पुत्री वीरसिह पत्नी अग्रेजसिह जाति कुम्हार निवासी साबुआना हाल गिदड़बाहा कराईवाला मुक्तसर पंजाब।
4. छोटूसिह पुत्र वीरसिह जाति कुम्हार निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :–88 आर.टी.ए.घोषणा

निर्णय

दिनांक :– 29/11/24

वादीगण की ओर से श्री सुखवीर सिंह अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुनिल शर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को सत्यनारायण आर ए एस उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि चक नम्बर 1 के.एच.आर के खाता संख्या 60/42 में दर्ज कुल 2.960 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1/30 हिस्सा की भूमि में से वादीगण को 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर व चक नम्बर 3 के.एच.आर के खाता संख्या 68/77 में दर्ज कुल 3.504 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 39/1168 हिस्सा की भूमि में से वादीगण को 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर तथा चक नम्बर 1 एस.बी.एन के खाता संख्या 86/83 में दर्ज कुल 3.567 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1/30 हिस्सा की भूमि में से वादीगण को 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का हिस्सा कम किये [illegible] आदेश दिये जाते है। समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में तहसीलदार [illegible] को आदेशित किया जाता है कि किसी उक्त वर्णित भूमि में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश [illegible] तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.12.19 13:23:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खर्चा फरीकैन अपना—अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 29/11/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(सत्यनारायण आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	——	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	——
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	——	अर्जी के लिये स्टाम्प	——
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	——	प्लीडर की फीस	——
रूपये पर प्लीडर की फीस	——	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	——
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	——	आदेशिका की तामिल	——
कमिश्नर की फीस	——	कमिश्नर की फीस	——
आदेशिका की तामिल	——		
योग	——	योग	——

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.12.19 13:23:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner